मूल हिंदी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 97

05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमृत 2.0 के अंतर्गत जल आपूर्ति और मल-जल निकासी संबंधी परियोजनाएं

***97. श्री हरीभाई पटेलः**

श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2025 से देश भर में कांकेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विशेषकर कांकेर, बालोद, धमतरी और कोंडागांव जिलों सहित छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना में राज्य-वार कितने शहरों में अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत जल आपूर्ति और मल-जल निकासी संबंधी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) देश भर में, विशेषकर तेलंगाना के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में नल कनेक्शनों के विस्तार, गैर-राजस्व जल में कमी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में प्रगति को किस प्रकार मापा जा रहा है;

(ग) तेलंगाना सहित देश भर में जल के पुनः उपयोग, शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग और सतत शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या तेलंगाना और विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र तथा देश में तकनीकी अथवा वित्तीय बाधाओं के कारण किसी परियोजना में विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तेलंगाना सहित देश भर में जल आपूर्ति और मल-जल निकासी संबंधी आस्तियों का दीर्घकालिक प्रचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) अमृत 2.0 के अंतर्गत उक्त परियोजनाओं और उनकी प्रगति का बिहार के दरभंगा शहर सहित देश भर में और मध्य प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) महाराष्ट्र के पालघर जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई अमृत 2.0 जल आपूर्ति और मल-जल निकासी संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस कार्य हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (छ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अमृत 2.0 के अंतर्गत जल आपूर्ति और मल-जल निकासी संबंधी परियोजनाएं" विषय पर लोक सभा में दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 97 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (छ): जल और स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) जैसे विभिन्न मिशनों/योजनाओं के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

अमृत 2.0 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में दिनांक 1 अक्तूबर, 2021 को शुरू किया गया है, ताकि शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता-निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अब तक देशभर में 2484 शहरी स्थानीय निकायों में 1,19,636.49 करोड़ रुपए की 3,528 जल आपूर्ति परियोजनाओं वाली राज्य जल कार्य योजनाएं (एसडब्ल्यूएपी) अनुमोदित की गई हैं। इन अनुमोदित परियोजनाओं में 11,160 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) जल शोधन क्षमता (नई/संवर्धन क्षमता) का विकास, 178 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन और 1.26 लाख किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना (नई/प्रतिस्थापित लाइन) शामिल हैं।

इसके अलावा, इस मिशन के अंतर्गत, अब तक 255 अमृत शहरों में 66,117.69 करोड़ रुपए की 583 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाओं वाली एसड़ब्ल्यूएपी अनुमोदित की जा चुकी हैं। इन अनुमोदित परियोजनाओं में 6,649 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धन क्षमता), 65 लाख घरेलू सीवर कनेक्शन और 34,548 किलोमीटर लंबी सीवर लाइनें बिछाना शामिल हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत जनवरी, 2025 से राज्यों द्वारा जिन जल आपूर्ति और सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के ठेके दिए गए हैं, उन परियोजनाओं की संख्या का छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में कांकेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कांकेर, बालोद, धमतरी और कोंडागांव जिलों में राज्य द्वारा अमृत 2.0 के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा आगे तालिका में दिया गया है। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कांकेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी जल आपूर्ति परियोजनाओं के ठेके दिए जा चुके हैं और वे परियोजनाएं कार्यान्वयन चरण में हैं। राज्य द्वारा इन जिलों में कोई भी सीवरेज परियोजना शुरू नहीं की गई है।

क्र. सं.	जिला	यूएलबी का नाम	योजना का नाम	दिए गए ठेकों की लागत (करोड़ में)	लक्ष्य एचएससी (संख्या सं।	वास्तविक प्रगति (% में)
1.	धमतरी	आमदी	जल आपूर्ति योजना	33.17	2112	47
2.	धमतरी	नगरी		59.05	4259	1
3.	बालोद	गुंडरदेही		29.28	2243	45
4.	बालोद	अर्जुंदा		26.21	1552	38
5.	बालोद	डोंडिलोहारा		28.74	1934	20
6.	कांकेर	नरहरपुर		31.32	1542	24
7.	कांकेर	भानुप्रतापपुर		35.84	2600	50
8.	कोंडागांव	कोंडागांव		104.42	9895	55

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 28.74 करोड़ रुपए के ठेके दिए जाने के साथ जनवरी, 2025 से बालोद जिले में डोंडिलोहारा जल आपूर्ति योजना शुरू कर दी गई है।

बिहार राज्य ने दरभंगा शहर में 186.16 करोड़ रुपये की लागत वाली एक जल आपूर्ति परियोजना शुरू की है, जो निविदा चरण में है।

महाराष्ट्र राज्य ने पालघर जिले में 634.67 करोड़ रुपये की तीन जल आपूर्ति परियोजनाएं और 529.74 करोड़ रुपये की एक सीवरेज परियोजना शुरू की है। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में इन चारों परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटित/जारी/स्वीकृत की जाती है, न कि शहर/कस्बे को।

मध्य प्रदेश में जल आपूर्ति और सीवरेज तथा सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के संदर्भ में प्रगति पारिवारिक कवरेज में देखी जाती है। अमृत/अमृत 2.0 के माध्यम से और राज्यों के साथ समन्वय करके, शहरी क्षेत्रों में अब तक 238 लाख पानी के नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अमृत/अमृत 2.0 के माध्यम से और अमृत शहरों में समन्वय करके 175 लाख सीवर कनेक्शन (एफएसएसएम के अंतर्गत शामिल

परिवारों सहित) प्रदान किए गए हैं। 90,457.51 किमी जल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया/बदला गया है और 26,271 किमी सीवर नेटवर्क बिछाया/बदला गया है।

गैर-राजस्व जल मुद्दों का समाधान करने के लिए, अमृत के तहत 258 जल आपूर्ति योजनाओं में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली जैसी स्मार्ट निगरानी प्रणाली है और अमृत 2.0 के तहत 1,422 जल आपूर्ति परियोजनाओं में एससीएडीए प्रणाली का प्रावधान है। मिशन अवैध कनेक्शन को कम करने के लिए कनेक्शन प्राप्त करने में आसानी को बढ़ावा देता है। मिशन में अंतिम लाभार्थी तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रति कनेक्शन 3000 रुपये का प्रावधान है। मिशन ने रखरखाव प्रणालियों, डिजिटल निगरानी, ऊर्जा दक्षता आदि को मजबूत करने के लिए स्मार्ट तत्वों, फ्लो मीटर, प्रेशर वाल्व आदि के उपयोग का समर्थन किया।

सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए, राज्यों ने नल से पेय जल (डीएफटी) परियोजनाएं शुरू की हैं और राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर के भीतर जिला मीटर्ड क्षेत्र (डीएमए) या वार्ड में कम से कम एक डीएफटी परियोजना कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अमृत 2.0 के तहत 349 यूएलबी में 16.72 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाली 1,153 डीएमए सहित 408 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अमृत मित्र पहल के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को जल गुणवत्ता परीक्षण, ओ एंड एम सहायता, बिल वितरण और जागरूकता बढ़ाने आदि कार्यों में लगाया गया है। अब तक, 376.95 करोड़ रु. की 6,067 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें 38,000+ एसएचजी सदस्य शामिल हैं। स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन के तहत 6,223.48 करोड़ रुपये की 3,016 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए, अमृत 2.0 के तहत शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट (एसएएम) पहल को 9 विविध भारतीय शहरों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। इसे एसएएम 2.0 के तहत 75 अतिरिक्त शहरों तक बढ़ाया गया है।

शोधित प्रयुक्त जल के पुन: उपयोग के लिए अमृत 2.0 के तहत विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं। मिशन शहर की जल संतुलन योजनाओं के माध्यम से एक चक्रीय जल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो शोधित सीवेज के पुन: उपयोग, जलाशय पुनरूद्धार और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। 500 अमृत शहरों के लिए सीवरेज घटक के तहत, स्वीकार्य गतिविधियों में शुरू से अंत तक पुन: उपयोग के साथ तृतीयक शोधन शामिल है। अमृत के तहत अब तक 1,437 एमएलडी क्षमता पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए विकसित की गई है। जैसा कि अमृत 2.0 प्लेटफॉर्म पर सिटी वाटर बैलेंस प्लान में शहरों द्वारा सूचित किया गया है, राज्यों द्वारा उद्योगों, बागवानी, कृषि आदि में लगभग 6,535 एमएलडी शोधित जल का पुन: उपयोग किया जाता है**। अमृत** 2.0 के तहत पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए अतिरिक्त 1,931 एमएलडी क्षमता को अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निरंतर आधार पर पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए पुनर्चक्रण योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण और शोधित डिस्चार्ज एफ्लुएंट में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है। चक्रीयता को संस्थागत बनाने के लिए वाटर रिसोर्स रिकवरी इंटरवेशनस की योजना बनाने, निगरानी करने और विस्तारित करने के लिए इस पहल के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वाटर रिसोर्स रिकवरी सेल (डब्ल्यूआरआरसी) स्थापित किए गए हैं।

तेलंगाना राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उद्योगों को ताजा जल के बजाय शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए हैं। अमृत के तहत, सिद्दीपेट नगर पालिका में निर्मित 18.25 एमएलडी क्षमता के दो एसटीपी और करीमनगर निगम में 38 एमएलडी क्षमता के एक एसटीपी से शोधित जल का पुन: उपयोग मीडियन/एवेन्यू के साथ वृक्षारोपण और सड़कों के रख-रखाव के लिए किया जाता है। अमृत 2.0 के तहत, रामागुंडम नगर निगम में 33.50 एमएलडी की कुल क्षमता वाले 5 एसटीपी कार्यान्वयन के चरण में हैं, जिसके लिए एनटीपीसी के साथ अपने बिजली संयंत्र में शीतलन के लिए समस्त शोधित जल का उपयोग करने के लिए चर्चा चल रही है।

अमृत 2.0 के तहत, एसएनए स्पर्श पर राज्यों द्वारा दावों की प्रस्तुति के अनुसार वास्तविक समय के आधार पर परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार की ओर से बिना किसी वित्तीय बाधा के मूल स्वीकृतियों के माध्यम से राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं।

अमृत 2.0 के तहत शुरू की गई परियोजनाएं लंबी निर्माण अवधि वाली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं। राज्यों द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार, राज्य द्वारा सदृश राज्य अंश को जारी करने में विलंब, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अनुमोदन में विलंब, सांविधिक मंजूरियों, भूमि संबंधी मुद्दों आदि के कारण परियोजनाओं में कुछ विलंब होता है। तेलंगाना राज्य ने सूचित किया है कि तकनीकी अथवा वित्तीय बाधाओं के कारण परियोजनाओं में विलंब की कोई सूचना नहीं मिली है। महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि जलगांव लोकसभा क्षेत्र में, जलगांव नगर परिषद के लिए अमृत 2.0 मिशन के तहत अनुमोदित 3 सीवरेज परियोजनाओं में पहले से अनुमोदित परियोजनाओं के पुनर्गठन की वजह से उत्पन्न तकनीकी बाधाओं के कारण वर्तमान में देरी हो रही है तथा कार्यान्वयन में भी देरी हुई थी, हालांकि, अब कार्य के ठेके दे दिए गए हैं और तीनों परियोजनाएं प्रगति चरण में है। एरंडोल नगर परिषद के तहत, जलाशय पुनरूद्धार परियोजना में भूमि से संबंधित एक मुद्दा है।

अमृत दिशानिर्देशों में कम से कम पांच वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत वाली परियोजनाओं को शुरू करने का प्रावधान है, जो प्रयोक्ता शुल्क या अन्य राजस्व स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित होते हैं। मिशन फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों को स्थायी रूप से संचालित करने और बनाए रखने के लिए यूएलबी की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोक्ता शुल्क की लेवी और संग्रह, गैर-राजस्व जल में कमी, शोधित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों में सुधार जैसे सुधारों पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत और अमृत मित्र जैसी विभिन्न सुधार पहलों के माध्यम से, मिशन जल शोधन संयंत्रों और सीवेज शोधन संयंत्रों के प्रबंधन में राज्यों/यूएलबी की सहायता कर रहा है।

****

"अमृत 2.0 के अंतर्गत जल आपूर्ति और मल-जल निकासी संबंधी परियोजनाएं" विषय पर लोक सभा में दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 97 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

अमृत 2.0 के तहत जनवरी, 2025 से राज्यों द्वारा जिन जल आपूर्ति और सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के ठेके दिए गए हैं, उनकी संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	जल आपूर्ति			सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन		
		परियोजना	शहर	दिए गए ठेकों की लागत (करोड़ रु. में)	परियोजना	शहर	दिए गए ठेकों की लागत (करोड़ रु. में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43	1	21.66			
2	आंध्र प्रदेश	3	3	17.96			
3	अरुणाचल प्रदेश	7	6	169.27			
4	असम	3	2	149.23	2	2	66.42
5	बिहार	3	3	357.24			
6	छत्तीसगढ़	6	6	442.68	5	5	625.37
7	दिल्ली	1	1	10.88	6	1	206.58
8	गुजरात	54	33	891.25	28	10	824.69
9	हरियाणा	9	9	111.72	6	5	267.77
10	हिमाचल प्रदेश	11	11	83.10			
11	जम्मू और कश्मीर	47	31	256.34	3	2	330.44
12	झारखंड	7	7	654.98			
13	कर्नाटक	44	41	1533.03			
14	केरल	83	47	527.30	19	3	231.14
15	मध्य प्रदेश	71	71	3139.60	16	16	3485.80
16	महाराष्ट्र	17	16	1932.98	10	7	3497.66
17	मणिपुर	6	6	88.65			
18	नागालैंड	23	23	97.00			
19	ओडिशा	86	36	1195.52			
20	पुडुचेरी				1	1	33.05
21	पंजाब	99	99	1022.62	4	4	188.99

22	राजस्थान	104	104	1244.51			
23	तमिलनाडु				2	2	602.82
24	तेलंगाना				3	1	3975.34
25	त्रिपुरा	4	4	7.77			
26	उत्तर प्रदेश	73	68	2961.75	5	5	947
27	उत्तराखंड	9	9	144.96			
28	पश्चिम बंगाल	95	80	3125.76			
कुल योग		908	717	20187.75	110	64	15283.07

"अमृत 2.0 के अंतर्गत जल आपूर्ति और मल-जल निकासी संबंधी परियोजनाएं" विषय पर लोक सभा में दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 97 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

मध्य प्रदेश में जिले-वार जलापूर्ति परियोजनाएं

क्र. सं.	जिला	अनुमोदित परियोजनाएं		सौंपी गई परियोजनाएं		
		संख्या में	लागत (करोड़ रु. में)	संख्या में	लागत (करोड़ रु. में)	वास्तविक रूप से पूर्ण (करोड़ रु. में)
1	अगर मालवा	6	39.70	6	34.90	11.00
2	अलीराजपुर	2	28.12	2	18.44	12.15
3	अनूपपुर	8	166.34	8	116.38	20.65
4	अशोकनगर	4	55.00	3	39.12	5.20
5	बालाघाट	4	25.92	4	23.28	4.73
6	बड़वानी	7	95.54	5	70.14	14.54
7	बैतूल	8	88.39	7	61.63	26.06
8	भिंड	3	84.10	3	33.84	16.34
9	भोपाल	2	524.32	2	735.03	49.15
10	बुरहानपुर	1	5.50	1	4.93	
11	छतरपुर	4	37.83	4	33.78	2.42
12	छिंदवाड़ा	16	160.25	15	140.12	29.30
13	दमोह	3	25.09	3	23.26	7.79
14	दतिया	4	52.08	3	64.03	30.61
15	देवास	8	116.02	6	108.12	50.61
16	धार	9	149.46	9	133.17	33.73
17	डिंडोरी	2	13.18	2	12.05	3.17
18	गुना	4	58.23	3	58.46	10.10
19	ग्वालियर	5	958.30	3	1063.83	85.79
20	हरदा	4	97.77	4	85.08	9.84
21	होशंगाबाद	6	63.05	5	56.91	7.91
22	इंदौर	7	1345.56	6	1116.39	21.82
23	जबलपुर	3	269.44	2	314.05	65.58

क्र. सं.	जिला	अनुमोदित परियोजनाएं		सौंपी गई परियोजनाएं		
		संख्या में	लागत (करोड़ रु. में)	संख्या में	लागत (करोड़ रु. में)	वास्तविक रूप से पूर्ण (करोड़ रु. में)
24	झाबुआ	4	28.56	4	22.24	10.03
25	खंडवा	5	176.78	5	170.44	142.31
26	खरगांव	5	61.80	5	55.26	25.40
27	मंडला	3	18.67	3	16.51	4.59
28	मंदसौर	10	60.39	9	47.58	21.49
29	मुरैना	4	25.23	4	28.06	2.14
30	मुरवारा (कटनी)	2	56.82	2	53.97	1.35
31	नरसिम्हापुर	5	31.66	5	26.70	9.99
32	नीमच	11	40.87	11	33.67	14.90
33	पन्ना	4	101.65	4	78.00	41.89
34	रायसेन	11	147.62	11	148.25	58.29
35	राजगढ़	11	44.59	9	30.27	16.39
36	रतलाम	9	142.87	9	121.06	59.97
37	रीवा	11	189.60	11	251.88	131.86
38	सागर	14	323.64	10	196.82	100.08
39	सतना	5	63.44	5	64.64	9.90
40	सीहोर	8	126.99	8	115.44	42.07
41	सिवनी	5	95.75	5	110.83	6.33
42	शहडोल	6	71.20	6	57.71	12.85
43	शाजापुर	5	56.26	5	47.37	24.18
44	शिवपुरी	8	119.18	5	86.10	63.07
45	सीधी	3	37.67	3	35.99	9.58
46	सिंगरौली	3	80.57	2	62.44	25.04
47	टीकमगढ़	7	77.40	7	68.12	8.41
48	उज्जैन	8	80.56	8	75.73	30.57
49	उमरिया	4	34.73	3	24.42	11.21
50	विदिशा	6	123.82	6	165.56	57.43
	कुल योग	297	6877.53	271	6542.01	1459.76

मध्य प्रदेश में जिले-वार सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं

क्र. सं.	जिला	अनुमोदित परियोजनाएं		सौंपी गई परियोजनाएं		
		संख्या में	लागत (करोड़ रु. में)	संख्या में	लागत (करोड़ रु. में)	वास्तविक रूप से पूर्ण (करोड़ रु. में)
1	बैतूल	1	115.5			
2	भिंड	1	137.5	1	158.99	
3	भोपाल	1	1177.79	1	1161.89	83.14
4	बुरहानपुर	1	93.5			
5	छतरपुर	1	181.5			
6	छिंदवाड़ा	1	5.5	1	7.40	
7	दमोह	1	104.5			
8	दतिया	1	77			
9	देवास	1	57.2			
10	धार	1	176	1	251.41	5.65
11	गुना	1	33			
12	ग्वालियर	3	327.42	1	115.81	
13	होशंगाबाद	1	1.1			
14	इंदौर	1	608	1	623.92	24.25
15	जबलपुर	2	879.22			
16	खंडवा	1	225.91	1	250.81	25.08
17	खरगांव	1	28.6	1	23.53	1.18
18	मंदसौर	1	165	1	173.23	3.46
19	मुरैना	1	192.5			
20	मुरवारा (कटनी)	1	38.5	1	37.57	1.88
21	नीमच	1	11	1	13.94	0.28
22	रतलाम	1	48.4	1	66.09	2.97
23	रीवा	1	5.6			
24	सागर	2	99			
25	सतना	1	7	1	15.04	0.30
26	सीहोर	1	27.5	1	39.94	
27	सिवनी	1	126.5			

28	**शिवपुरी**	**1**	**66**			
29	**सिंगरौली**	**1**	**5.5**			
30	**उज्जैन**	**2**	**388.3**	**2**	**546.23**	**92.04**
31	**विदिशा**	**1**	**22**	**1**	**30.81**	**1.31**
	कुल योग	**36**	**5432.04**	**17**	**3516.61**	**241.55**